!! कार्यालय आदेश !!

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2507/पन्द्रह–रा0अ0(2018–19) दिनांकः 31 दिसम्बर, 2019 से जारी सन् 2020 ई0 अर्थात (शक् संवत् 1941–42) हेतु जनपद स्तर पर सार्वजनिक अवकाश, स्थानीय अवकाश एवं निर्बन्धित अवकाश की अनुसूची प्रख्यापित की गयी है। उक्त अवकाशों की अनुसूची के अनुलग्नक–3 से प्रख्यापित की गयी जनपद चमोली में स्थानीय अवकाश की सूची के क्रमांक–3 पर अंकित गौचर मेला हेतु स्थानीय अवकाश दिनांकः 18 नवम्बर, 2020 (बुधवार) को घोषित किया गया था।

चूँकि वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश एवं एडवाइजरी जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर एहतीयात बरतने तथा सामाजिक दूरी बनाये रखे जाने की अपेक्षा की गयी है। इस हेतु वर्तमान परिदृश्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय स्तर पर प्रति वर्ष आयोजित होने वाले पौराणिक सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय पृष्ठभूमि को उजागर करने वाले गौचर मेला का आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पाया है।

अतः कार्यालय आदेश दिनांकः 31 दिसम्बर, 2019 को अतिक्रमित करते हुए दिनांकः 18 नवम्बर, 2020 को स्थानीय स्तर पर गौचर मेला हेतु घोषित स्थानीय अवकाश को संशोधन के प्रतिबंधाधीन स्थानीय सुविधानुसार निर्दिष्ट करते हुए उक्त के स्थान पर **दिनांकः 12 नवम्बर, 2020 (बृहस्पतिवार) "धनतेरस" का स्थानीय अवकाश एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।** उक्त आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

दिनांकःगोपेश्वर, नवम्बर 2020

Sd/-
(स्वाति एस.भदौरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्याः 890 /पन्द्रह–रा0अ0(2020–21) दिनांकः गोपेश्वरः 2 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
2– पुलिस अधीक्षक, चमोली।
3– समस्त उप जिलाधिकारी, चमोली।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/जनपद स्तरीय अधिकारीगण जनपद चमोली।
5– NIC जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को इस आशय के साथ कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप की एक प्रति विभागीय साईट पर अपलोड़ करवाने का कष्ट करें।
6– जिला सूचना अधिकारी चमोली को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना के वृहद् प्रचार–प्रसार हेतु किन्ही दो स्थानीय दैनिक अखबारों में जनसाधरण को सूचित किये जाने हेतु सूचना का प्रकाशन जनहित में निःशुल्क करवाने का कष्ट करें।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
चमोली।

3